न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 70/2019

1 श्रीमती फूली देवी आयु 70 साल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी चौढ़ाणी तन परसरामपुरा स्त्री मोहनराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 चावली देवी पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी चौढ़ाणी तन परसरामपुरा स्त्री सांवलराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। दौराने अपील मृतक

1/1 मु. राधा आयु 65 साल पुत्री चावली देवी व सांवलराम स्त्री बनवारी जाति जाट निवासी खींचड़ो की ढाणी तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/2 मु. संतोष आयु 55 साल पुत्री चावली देवी व सांवलराम स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खींचड़ो की ढाणी तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/3 राजेश आयु 48 साल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/4 मु. सुभिता आयु 44 साल पुत्री हरलाल स्त्री धर्मपाल जाति जाट निवासी बिड़ोदी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/5 मु. अनिता आयु 38 साल पुत्री हरलाल स्त्री जसवीर जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

1/6 श्रीमती मोहनी देवी आयु 70 साल स्त्री हरलाल जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/7 प्रवीण आयु 28 साल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1/8 सुधीर आयु 24 साल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
1/9 मु. अजन्ता आयु 30 साल पुत्री ओमप्रकाश स्त्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी चक्की स्टेण्ड कैरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
1/10 श्रीमती मन्नी देवी आयु 47 साल स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 श्रीमती दड़की देवी स्त्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी चोढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू – दौराने दावा मृतक नाम हजफ
3 सुलतान दत्तक पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू । दौराने अपील मृतक
3/1 श्रीमती सुमित्रा उम्र 55 साल स्त्री सुलतान जाति जाट निवासी बास नागन तन अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुन्झुनू।
3/2 महिपाल ढाका आयु 38 साल
3/3 महेश आयु 35 साल
3/4 जयचन्द आयु 28 साल पिसरान सुलातन जाति जाट निवासी बास नानग तन अजाड़ी कलां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3/5 मु. भागोती आयु 40 साल
3/6 मु. पार्वती आयु 37 साल
3/7 मु. संतोष आयु 30 साल
3/8 मु. शर्मिला उर्फ सरिता आयु 25 साल
3/9 मु. पिंकी उर्फ प्रियंका आयु 22 साल पुत्रियां सुलतान जाति जाट निवासी बास नानग तन अजाड़ी कलां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 हरलाल आयु 62 साल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी चोढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
5 बीरबल आयु 67 साल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी चोढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
6 राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 उप पंजीयक तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
9 मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड जरिये अधिकृत नवीन परिहार पुत्र श्री त्रिलोकेश्वर परिहार, जाति सैन वरिष्ठ अधिकारी (विधि विभाग) निवासी श्री सीमेन्ट लिमिटेड ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2019 बमुकदमा उनवानी
फूली देवी बनाम चावली देवी वगै. दावा बाबत घोषणा,
दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 117/2012
बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 117/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीया अपीलांट ने एक वाद घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 707, 1011, 1019, 1024, 1146, 1173, 1279, 1330, 1339 वर्तमान नम्बर 575, 600, 603, 604, 845, 846, 847, 850, 908, 909, 912, 914, 915 वाके ग्राम परसरामपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तनकी नम्बर 1 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस तनकी में वादी के स्व. गिरधारी की पुत्री होना साबित नहीं किया जाना था बल्कि वादी के स्व. गिरधारी की पुत्री होने के ारण वादी को गिरधारी की खातेदारी की जमीन में 1/3 हिस्से की जमीन की खातेदार होने के तथ्य को साबित किया जाना था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के पृष्ठ संख्या 7 वादी को स्व. गिरधारी की पुत्री होना स्वीकार किया है तथा आगे जमीन वर्णित धारा 5 में वादी का नाम इस भूमि की खातेदारी में दर्ज होने के तथ्य को भी स्वीकार किया गया है। उकसे भात छूछक भरने आदि सामाजिक रितिरिवाजों का सम्पन्न करने के तथ्य को भी स्वीकार किया गया है। कानून से एडमीशन को सर्वोत्तम साक्ष्य माना है तथा स्वीकारोक्ति के आधार पर दावा डिक्री किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है। उक्त अनुसार जवाब दावा में किये गये लिखित एडमीशन के अलावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 05.12.1977 में प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता लक्ष्मण उर्फ लिछमण, प्रतिवादी नम्बर 1 चावली देवी द्वारा भी वादी को स्व. गिरधारी की पुत्री व स्वयं की बहिन मानते हुये कार्यवाही किये जाने पर ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा जमीन वर्णित धारा 5 वाद पत्र के खातेदार काश्तकार होना माना है। जब जमीन वर्णित धारा 5 वाद पत्र की उक्त अनुसार स्वीकृत रूप से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी खातेदार काश्तकार स्व. गिरधारी की पुत्री होने से है तब स्व. गिरधारी की अन्य खातेदारी की भूमियों वर्णित धारा 3 व 4 वाद पत्र की खातेदार काश्तकार वादी क्यों नहीं हो सकती। उक्त अनुसार वादी अपनी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में संदेह से परे सफल रही है कि वादी स्व. गिरधारी की पुत्री होने से स्व. गिरधारी की खातेदारी के जमीन में 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार व काबिज है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य का भी वादी के स्व. गिरधारी की पुत्री होने का तथ्य खंडित रहा है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादी के स्व. गिरधारी की पुत्री होने से विवादित जमीन के 1/3 हिस्से की खातेदार नहीं होना प्रमाणित होता है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण उक्त अनुसार वर्णित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर कोई गोर न करते हुय केवल अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, नवलगढ़ के न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत दावा की प्रतिलिपि का हवाला देते उक्त दावा में वादी द्वारा गिरधारी की पुत्री होने से उसकी उत्तराधिकारी घोषित करवाने के लिए सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया हुआ होने के आधार पर तनकी नम्बर 1 का निष्कर्ष अपन मनमर्जी से गलत निकाला है। जबकि उक्त कथित दावा में वादी की ओर से वर्तमान दावा के लम्बित रहने के दौरान दिनांक 05.10.2018 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 3 द्वारा मैं श्री सीमेन्ट लिमिटेड के हक में पंजिकृत करवाये गये विक्रय पत्र को शुन्य घोषित करवाने की मुख्य रिलीफ चाही गई है तथा वादी के स्व गिरधारी की उत्तराधिकारी होने के बाबत मात्र एन्सीलरी रिलीफ है। प्रस्तुत दावा में उत्तराधिकारी तय करवाये जाने बाबत कोई रिलीफ नहीं चाही गई है जो तनकी संख्या 1 के अवलोकन मात्र से ही विदित हो रहा है। तनकी संख्या 2 का भार सबूत वादी पर है जिससे वादी को प्रमाणित करना है कि विवादित जमीन का राजस्व रिकार्ड अकेले लक्ष्मण के नाम से गलत दर्ज होने के तथ्य को साबित किया जाना है। प्रकरण की यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित जमीन का खातेदार काश्तकार स्व.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

गिरधारी था। उक्त लक्षमण स्व. गिरधारी का पुत्र होना व प्रतिवादी नम्बर 1 चावली देवी का उसकी पुत्री होना भी स्वीकृत तथ्य है। तनकी नम्बर 1 के विवेचन में दस्तावेजी सबूतो के आधार पर वादी का स्व. गिरधारी की पुत्री होना प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार स्व. गिरधारी के तीन वारिसान वादी, प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 3 हुये। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि पिता की संपति में पुत्र व पुत्रियों का बराबर बराबर हिस्सा होता है इसलिए स्व. गिरधारी की खातेदारी की भूमि वर्णित धारा 3, 4 व 5 वाद पत्र के वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 3 खातेदार काश्तकार हुये व काबिज हुये तथा प्रत्येक का इस जमीन में स्व. गिरधारी के हिस्से की जमीन में 1/3 हिस्सा रहा। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा 3, 4 व 5 वाद पत्र के वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 3 कोटीनेन्टस हैं व काबिज है। कानून की यह भी सुस्थापित व्यवस्था है कि को–टीनेन्सी की जमीन के हर ईंच भाग पर हर एक कोटीनेन्ट का कब्जा जमीन के हर ईच पर होना माना जाता है तथा एक कोटीनेन्ट का कब्जा होना सभी कोटीनेन्टस का कब्जा होना माना जाता है। उक्त समस्त परिस्थितियों में वादी प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 उक्त गिरधारी के वारिसान होने से सभी तीनों इस जमीन जैर बहस के खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा अकेले लक्षमण के नाम से इस जमीन का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज रहा। विचारण न्यायालय ने कानून व प्रकरण के तथ्यों पर बिना गोर किये तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध देने में भयंकर कानूनी भूल की है। तनकी संख्या 3 का भी भार सबूत वादी पर रखा गया है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 3 के पक्ष में दिनांक 02.04.2012 को तस्दीक करवाया गया हक तर्कनामा एबइनिसियों वोईड होना साबित किया जाना था। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक लक्षमण ने अपने जीवनकाल में जमीन वर्णित धारा 3 वाद पत्र में उक्त अनुसार अपने 1/3 हिस्से अर्थात 9.54 हैक्टेयर भूमि के 1/3 भाग 3.18 हैक्टेयर में से 2.32 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 5 को विक्रय कर दिया था। इसलिए जमीन वर्णित धारा 3 वाद पत्र में उक्त लक्ष्मण के 3.18 हैक्टेयर भूमि में से केवल 3.18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हैक्टेयर 2.32 हैक्टेयर 0.86 हैक्टेयर ही शेष रहा था परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त लक्ष्मण के मरणोपरान्त उसके वारिसान प्रतिवादीगण 2 व 3 के हिस्से में इनके हिस्से से अधिक जमीन दर्ज रही तथा हक तर्कनामा दिनांक 02.04.2012 में प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 3 के हक में प्रतिवादी नम्बर 3 के हिस्से 0.43 हैक्टेयर से अधिक जमीन का हक त्याग हुआ। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपने टाईटल से बेहतर टाईटल किसी अन्य के हक में अन्तरित नहीं कर सकता तथा अपने हक से अधिक हक का त्याग पत्र किया जाता है तो ऐसा दस्तावेज आरंम्भ से ही अवैध होना माना जाता है तथा इस प्रकार के दस्तावेज आरंम्भ से ही अवैध होना माना जाता है तथा इस प्रकार के दस्तावेज को अवैध घोषित किये जाने अथवा करवाये जाने की कानून से आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी पहलु पर बिना गोर किये केवल यह उल्लेख करते हुये इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध दिया है कि माता द्वारा पुत्र के हक त्याग विधि सम्मत गलत मानते हुये तनकी नम्बर 3 का निष्कर्ष गलत निकाला है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। तनकी नम्बर 4 का भार सबूत प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 पर रखा गया है जिसमें प्रतिवदीगण नम्बर 1 लगायत 3 को वादी के गिरधारी की पुत्री नहीं होना व रामादेवी की पुत्री होना साबित किया जाना है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिसके आधार पर वादी को उक्त गिरधारी की पुत्री न होकर रामादेवी की पुत्री होना माना जा सके जबकि तनकी नम्बर 1 के बाबत उक्त अनुसार किये गये विवेचन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 05.12.1977 मु.नं. 101/1964 में वाद पत्र में वादी को गिरधारी की पुत्री होना बतलावे हुये इस जमीन की वादी को खातेदार काश्तकार होना माना है जिसे आज तक प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से कभी कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 ने प्रस्तुत दावा के जवाब दावा में वादी का लालन पालन, शादी–विवाह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

गिरधारी द्वारा किया जाना मानते हुये उसके भात, छूछक की रश्म आदि प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा किया जाना भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वादी के गिरधारी की पुत्री होने के पर्याप्त प्रमाण पत्रावली पर मौजूद है परन्तु वादी के रामादेवी की पुत्री होना साबित करने के लिए पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र दिनांक 05.10.2018 को शुन्य घोषित करवाये जाने हेतु वादी की ओर से किये गये दावा में उत्तराधिकारी होने बाबत घोषणा चाहने बाबत रिलीफ चाहे जाने के आधार पर तनकी नम्बर 1 की भांति ही तनकी नम्बर 4 का निर्णय गलत व कानून के विरूद्ध देने में भयंकर कानूनी भूल की है। तनकी नम्बर 5 का भार सबूत भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 पर रखा गया है जिसमें विक्रय पत्र व हकतर्कनामा में शुन्य व प्रभावहीन घोषित करने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। कानून की यह स्पष्ट स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति किसी जमीन जायदाद में अपने हक अधिकार से अधिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं कर सकता। उपर विवेचन में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वादी जमीन वर्णित धारा 3, 4 व 5 में अपने पिता गिरधारी के हिस्से में से 1/3 हिस्से की जमीन की खातेदार काश्तकार है व काबिज है। गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण ने विक्रय पत्र व हकतर्कनामा हिस्सेदार के हिस्से से अधिक जमीन के बाबत निष्पादित करवाया है जो कानून की परिसीमा में नहीं होने से आरंभ से ही अवैध है। जिन्हें इस प्रकार अवैध शुन्य आदि घोषित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा इस प्रकार घोषित किये जाने की न्यायालय को ही आवश्यकता व क्षेत्राधिकार है। विचारण न्यायालय ने कानून की उक्त स्थिति के बाबत बिना गोर किये तनकी नम्बर 5 का निर्णय गलत दिया है। तनकीयात नम्बर 6 व 7 का भार सबूत प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 पर रखा गया था। विचारण न्यायालय ने दोनों तनकीयात नम्बर 6 व 7 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिया है जिसमें वादी को किसी प्रकार की कोई आपति होने का प्रश्न ही नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के अन्त में विवादित जमीन वर्णित धारा 3

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड में श्री सीमेन्ट लिमिटेड के नाम से दर्ज होने का उल्लेख किया है जो पत्रावली के रिकार्ड पर ऐसा कोई सबुत प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित दावा के दोरान दिनांक 05.10.2018 को उक्त मै. श्री सीमेन्ट लिमिटेड के हक में विक्रय पत्र पंजिकृत करवाया जो उक्त परिस्थितियों में वादी के हक अधिकारों के खिलाफ शुन्य व बेअसर है। इसके अलावा दावा के लंबित रहने के दोरान किया गया कोई विक्रय पत्र Dotorine of Lis-Pendence से हिट होने से धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध है तथा कानून से लंबित दावा के निर्णय से बाधित रहेगा। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 लगायत 7 के निस्तारण में कही पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का कोई हवाला न देते हुये अपना निर्णय मनमाने ढंग से दिया है जबकि कानून से उपलब्ध साक्ष्य का बिना विवेचन किये किसी तनकी का निर्णय विधिविरूद्ध दिया जाना माना जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि भूमि गिरधारी की होने के संबंध में कोई विवाद नही है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नवलगढ़ में वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद की प्रति जिसमें वादिनी ने स्वयं को गिरधारी की पुत्री होने से उनकी वैद्य उत्तराधिकारिणी घोषित करने की रिलीफ चाही है। वैद्य उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। वादिनी गिरधारी की पुत्री व वैद्य उत्तराधिकारिणी है या नहीं यह माननीय सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जायेगा। प्रस्तुत वाद में वादिनी स्वयं को सभी संदेहो से परे गिरधारी की पुत्री साबित करने में असमर्थ रही है। वादिनी स्वयं को सभी संदेहो से परे गिरधारी की पुत्री साबित करने में असमर्थ रही है अतः गिरधारी की मृत्यु होने पर राजस्व रिकार्ड में अकेले लक्ष्मणराम के नाम से दर्ज होने को गलत नहीं माना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जा सकता। माता द्वारा पुत्र के पक्ष में हकतर्कनामा करवाना विधि सम्मत है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 02.04.2012 को तस्दीक करवाये गये हकतर्कनामा को एबएनिसियो वॉइड नहीं माना जा सकता। वादिनी गिरधारी की पुत्री है या नहीं। यह बिन्दु भी माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी द्वारा ग्राम चौढाणी के खाता संख्या नया 87 व पुराना 58 अनुसार खसरा नम्बर 575, 600, 603, 604, 845, 846, 847, 850, 908, 909, 912, 914, 915 किता 13 कुल रकबा 7.22 हैक्टेयर की खातेदारी मै. श्री सीमेन्ट लि. रजि. आफिस बागड़नगर ब्यावर जरिये वी.के.शर्मा पि.जे.पी. शर्मा सीनियर जनरल मैनेजर के नाम दर्ज है। जिन्हें वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अपने पिता गिरधारी के नाम दर्ज भूमि में विरासत के आधार पर 1/3 हिस्से की उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है। वाद में वादी अपीलांट ने गत खसरा नम्बर 707, 1011, 1019, 1024, 1146, 1173, 1279, 1330, 1339, 1340 हाल खसरा नम्बर 575, 600, 603, 604, 845, 846, 847, 850, 908, 909, 912, 914, 915 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/3 हिस्से, गत खसरा नम्बर 1341 नवीन खसरा नम्बर 1928, 1929, 1930, 1933 हाल खसरा नम्बर 910, 911, 913, 914 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/12 हिस्से एवं गत खसरा नम्बर 1181, 1182, 1189, 1177, 1175, 1176, 1183, 1186, 1184 हाल खसरा नम्बर 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 वाके ग्राम परसरामपुरा में से 1/12 हिस्से, नवीन खसरा नम्बर 828, 830, 831, 832,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

833, 834, 835, 836, 838, 839, 840 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/12 हिस्से की उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि गिरधारी की खातेदारी की रही है। गिरधारी की मृत्यु पर विरासतन गिरधारी के पुत्र लक्ष्मण, पुत्री चावली व पुत्री फुली का उक्त भूमि में समान रूप से 1/3, 1/3 हिस्सा होता है। गिरधारी की मृत्यु पर विरासत का नामान्तकरण अकेले गिरधारी के पुत्र लक्ष्मण के नाम दर्ज कर दिया गया। विरासत के आधार पर वादिया उक्त विवादित भूमि में 1/3 हिस्से की उद्घोषणा की अधिकारी है। विवादित भूमि गिरधारी की होने का कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादिया गिरधारी की पुत्री नहीं होकर गिरधारी की बहन की पुत्री है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–44 उपखण्ड अधिकारी एवं रेन्ट टेन्ट ऑफिसर झुन्झुनू का राजस्व वाद संख्या 101/1964 विविध में पारित निर्णय दिनांक 05.12.1977 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। इस निर्णय में प्रार्थी के रूप में लिक्षमण पुत्र गिरधारी, चावली, फुली पुत्री गिरधारी के रूप में अंकित है। इस दस्तावेज से वादिया गिरधारी की पुत्री होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। इसके विपरित प्रतिवादी के कथनानुसार वादिनी फुली देवी गिरधारी की पुत्री नहीं होकर गिरधारी की बहिन रामा देवी की लड़की होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिया दस्तावेजी साक्ष्ये से एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार गिरधारी की प्रथम श्रेणी की वारिस होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरएलडब्ल्यू 2011 (1) राज. पेज 410 सज्जन कंवर बनाम उच्छव कंवर में अभिनिर्धारित किया है कि 'खातेदार के निर्वसीयत निधन पर उनकी भूमि में पुत्रियों का हिस्सा और अधिकार– मृतक खातेदार के दो पुत्र दो पुत्रियां थी– विवादित भूमि, पुत्रियों का पृथक करते हुए केवल दो पुत्रों के नाम से दर्ज की – यह अभिवाक कि पुत्रियों ने अपने अधिकार को छोड़ दिया है – अभिनिर्धारित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जब कोई खातेदार निर्वसीयत मरता है तो उसके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

जीवित पुत्र एवं पुत्रियों को उसके उत्तराधिकारी हो जाते है। – पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिस होती है अतः गैर वसीयती उत्तराधिकार के मामले में पिता की सम्पति में पुत्रों के साथ भी उत्तराधिकारी होगी। काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार का त्यजन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक गिरधारी की पुत्री होने से निर्वसियती सम्पति में प्रथम अनुसूचि के प्रथम वर्ग की वारिसान है।

जहां तक गिरधारी के पुत्र लक्ष्मण एवं उनके वारिसान द्वारा विवादित भूमि के विक्रय एवं दान, उपहार का प्रश्न है इस संदर्भ में राजस्व मण्डल में डीएनजे 2018 रेव. पेज नम्बर 205 हीरा बिश्नोई बनाम बीरबल बिसनोई में अभिनिर्धारित किया है कि ' कृषि भूमि के संबंध में घोषणा का वाद केवल राजस्व न्यायालय ही तय कर सकती है। जब वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है तो वादीगण के हिस्से की बेचान की गई भूमि का बेचान स्वतः निरस्त हो जाता है। उस बेचान को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिया को 1/3 हिस्से की सम्पति हिन्दू उत्तराधिकार के तहत अपने पिता की मृत्यु के बाद धारा 8 के तहत न्यायगत हुई प्रतिवादी द्वारा कानूनन प्राप्त अपने हक हिस्से से ज्यादा का अन्तरण वादिया के हक अधिकारों पर बेअसर, शुन्यप्रभावी है।

यहां यह भी विचारणीय है कि परमदेव व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल 2014(1) **HLJ (HP)** 440 में अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तकरण किसी भी प्रकार का से स्वामित्व का निर्धारण नहीं करता है नामान्तकरण की कार्यवाही केवल राजकोषिय उद्देश्य के लिए भूमि राजस्व निर्धारित करने के लिए ही होती है किसी भी प्रकार के स्वत्वों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। ऐसी स्थिति में गिरधारी की विरासत के नामान्तकरण को स्वत्व का आधार नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में वादिया द्वारा विचाराधीन वाद से गिरधारी की विरासत के आधार पर गिरधारी के पुत्र लक्ष्मण के नाम दर्ज भूमि में से विरासतन 1/3 हिस्से की उद्घोषणा चाही गई है। वर्तमान में दर्ज खातेदार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वर्तमान खातेदार लक्ष्मण के विक्रय के फुटस्टेप पर है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में वादिया के हिस्से तक किया गया विक्रय अंतरण शुन्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादी साबित होने से डिक्री किये जाने योग्य था। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादिया अपीलांट को गत खसरा नम्बर 707, 1011, 1019, 1024, 1146, 1173, 1279, 1330, 1339, 1340 हाल खसरा नम्बर 575, 600, 603, 604, 845, 846, 847, 850, 908, 909, 912, 914, 915 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/3 हिस्से, गत खसरा नम्बर 1341 नवीन खसरा नम्बर 1928, 1929, 1930, 1933 हाल खसरा नम्बर 910, 911, 913, 914 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/12 हिस्से एवं गत खसरा नम्बर 1181, 1182, 1189, 1177, 1175, 1176, 1183, 1186, 1184 हाल खसरा नम्बर 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 वाके ग्राम परसरामपुरा में से 1/12 हिस्से, नवीन खसरा नम्बर 828, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 840 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादिया के हिस्से तक किये गये विक्रय, अंतरण को शुन्य घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 18.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिक्री व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री बलदेवाराम धोजक, आर.ए.एस

1 श्रीमती फूली देवी आयु 70 साल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी चौढ़ाणी तन परसरामपुरा स्त्री मोहनराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 चावली देवी पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी चौढ़ाणी तन परसरामपुरा स्त्री सांवलराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। दौराने अपील मृतक

1/1 मु. राधा आयु 65 साल पुत्री चावली देवी व सांवलराम स्त्री बनवारी जाति जाट निवासी खींचड़ो की ढाणी तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/2 मु. संतोष आयु 55 साल पुत्री चावली देवी व सांवलराम स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खींचड़ो की ढाणी तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/3 राजेश आयु 48 साल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/4 मु. सुभिता आयु 44 साल पुत्री हरलाल स्त्री धर्मपाल जाति जाट निवासी बिड़ोदी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

1/5 मु. अनिता आयु 38 साल पुत्री हरलाल स्त्री जसवीर जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

1/6 श्रीमती मोहनी देवी आयु 70 साल स्त्री हरलाल जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/7 प्रवीण आयु 28 साल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/8 सुधीर आयु 24 साल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

1/9 मु. अजन्ता आयु 30 साल पुत्री ओमप्रकाश स्त्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी चक्की स्टेण्ड कैरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

1/10 श्रीमती मन्नी देवी आयु 47 साल स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

2 श्रीमती दड़की देवी स्त्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी चोढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू – दौराने दावा मृतक नाम हजफ

3 सुलतान दत्तक पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू । दौराने अपील मृतक

3/1 श्रीमती सुमित्रा उम्र 55 साल स्त्री सुलतान जाति जाट निवासी बास नागन तन अजाड़ी कलां तहसील व जिला झुन्झुनू।

3/2 महिपाल ढाका आयु 38 साल

3/3 महेश आयु 35 साल

3/4 जयचन्द आयु 28 साल पिसरान सुलातन जाति जाट निवासी बास नानग तन अजाड़ी कलां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

3/5 मु. भागोती आयु 40 साल

3/6 मु. पार्वती आयु 37 साल

3/7 मु. संतोष आयु 30 साल

3/8 मु. शर्मिला उर्फ सरिता आयु 25 साल

3/9 मु. पिंकी उर्फ प्रियंका आयु 22 साल पुत्रियां सुलतान जाति जाट निवासी बास नानग तन अजाड़ी कलां तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

4 हरलाल आयु 62 साल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी चोढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

5 बीरबल आयु 67 साल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी चोढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

6 राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

7 उप पंजीयक तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड जरिये अधिकृत नवीन परिहार पुत्र श्री त्रिलोकेश्वर परिहार, जाति सैन वरिष्ठ अधिकारी (विधि विभाग) निवासी श्री सीमेन्ट लिमिटेड ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

नियमित अपील संख्या 70/2019 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 117/2012 उनवानी फुली देवी बनाम चावली देवी आदि।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री बलदेवाराम धोजक आर.ए.एस. बहाजरी श्री विजयपाल वास्ते अपीलांट श्री विद्याधर जाखड़, श्री अमित कुमार शर्मा वास्ते रेस्पोडेंट।

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादिया अपीलांट को गत खसरा नम्बर 707, 1011, 1019, 1024, 1146, 1173, 1279, 1330, 1339, 1340 हाल खसरा नम्बर 575, 600, 603, 604, 845, 846, 847, 850, 908, 909, 912, 914, 915 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/3 हिस्से, गत खसरा नम्बर 1341 नवीन खसरा नम्बर 1928, 1929, 1930, 1933 हाल खसरा नम्बर 910, 911, 913, 914 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/12 हिस्से एवं गत खसरा नम्बर 1181, 1182, 1189, 1177, 1175, 1176, 1183, 1186, 1184 हाल खसरा नम्बर 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 वाके ग्राम परसरामपुरा में से 1/12 हिस्से, नवीन खसरा नम्बर 828, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 840 वाके ग्राम चौढाणी में से 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील
सीकर

वादिया के हिस्से तक किये गये विक्रय, अंतरण को शुन्य घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

डिक्री आज दिनांक 18.10.24 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प क्रोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर
मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

झुन्नी — नारायणी 70/2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22-10-24	प्रकरण में अपील अपीलांट द्वारा 152 एल.आर. एक्ट का आवेदन पेश किया। आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-10-24 में रकबा 918 ग्राम चौढाणी के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से रकबा 914 ग्राम चौढाणी अंकित हो गया है अतः न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक में रकबा 914 ग्राम चौढाणी के स्थान पर रकबा 918 ग्राम चौढाणी पढ़ा जावे के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शामिल दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झनूं)	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते